



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 11 सितम्बर, 2017/20 भाद्रपद, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
SECTION-A

NOTIFICATION

Shimla-2 the 07th September, 2017

No. GAD-A(F)9-5/2017.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that the holidays as listed in Annexure-I, will be observed as Gazetted Holidays during the calendar year-2018, in the State of Himachal Pradesh.

2. In addition to the holidays mentioned in Annexure-1, all Government employees will be authorized to avail two 'Restricted Holidays' out of those mentioned in Annexure-III.

3. Holidays listed in Annexure-II are declared Gazetted Holidays for women employees working in all Government Offices/ Boards/ Corporations/ Educational Institutions in H.P. These will also be holidays for women employees within the meaning of section 25 of Negotiable Instrument Act 1881 and also to daily wage women employees.

4. (i) The Deputy Commissioners in the State are authorized to declare two local holidays within their jurisdiction during the Year 2018 in connection with celebration of important fairs and festivals in the respective District/ Area.

(ii) However, for the offices situated within the Municipal limits of Shimla, two local holidays will be declared by the State Government after receiving proposal in this regard from the Deputy Commissioner Shimla and for the rest of the areas of District Shimla, two local holidays will be declared/ decided by the Deputy Commissioner Shimla as per past practice. For the Offices of H.P. Govt. situated at Delhi, two local holidays will be declared by the State Govt. after receiving proposal from Pr. Resident Commissioner, H.P., New Delhi.

5. The holidays listed in Annexure-IV are also declared as gazetted holidays within the meaning of Section 25 of Negotiable Instrument Act, 1881.

By order,
V. C. PHARKA,
Chief Secretary.

ANNEXURE-I

Gazetted Holidays for the Year -2018

Sr. No.	Holiday	Date	Saka	Day of week
1.	Statehood Day	25 th January, 18	<u>SAKA ERA 1939</u> Magha 05	Thursday
2.	Republic Day	26 th January, 18	Magha 06	Friday
3.	Guru Ravidas's Birthday	31 st January, 18	Magha 11	Wednesday
4.	Maha Shivratri	14 th February, 18	Magha 25	Wednesday
5.	Holi	2 nd March, 18	Phalguna 11	Friday
6.	Ram Navami	25 th March, 18	<u>SAKA ERA 1940</u> Chaitra 04	Sunday
7.	Good Friday	30 th March, 18	Chaitra 09	Friday
8.	Dr. B.R. Ambedkar's Birthday	14 th April, 18	Chaitra 24	Saturday
9.	Himachal Day	15 th April, 18	Chaitra 25	Sunday
10.	Parshu Ram Jayanti	18 th April, 18	Chaitra 28	Wednesday
11.	Budha Purnima	30 th April, 18	Vaisakha 10	Monday
12.	Idu'l Fitr/Maharana Pratap Jayanti	16 th June, 18	Jayeshtha 26	Saturday

13.	Sant Guru Kabir Jayanti (Prakat Diwas)	28 th June, 18	Ashadha 07	Thursday
14.	Independence Day	15 th August, 18	Sravana 24	Wednesday
15.	Idu'l Zuha (Bakrid)	22 nd August, 18	Sravana 31	Wednesday
16.	Janmashtami	3 rd September, 18	Bhadra 12	Monday
17.	Muharram	21 st September, 18	Bhadra 30	Friday
18.	Mahatma Gandhi's Birthday	2 nd October, 18	Asvina 10	Tuesday
19.	Dussehra	19 th October, 18	Asvina 27	Friday
20.	Maharishi Valmiki's Birthday	24 th October, 18	Kartika 02	Wednesday
21.	Diwali	7 th November, 18	Kartika 16	Wednesday
22.	Guru Nanak's Birthday	23 rd November, 18	Agrahayana 02	Friday
23.	Christmas Day	25 th December, 18	Pausha 04	Tuesday

ANNEXURE-II

Gazetted Holidays for the Year-2018 for women employees working in all Government Offices/Boards/Corporations/Educational Institutions in H.P. These will also be holidays for women employees under Section 25 of Negotiable Instrument Act, 1881 and also to daily waged women employees.

Sr. No.	Holiday	Date	Saka	Day
1.	Raksha Bandhan	26 th August, 18	<u>SAKA ERA 1940</u> Bhadra 04	Sunday
2.	Karva Chauth	27 th October, 18	Kartika 05	Saturday
3.	Bhai Duj	9 th November, 18	Kartika 18	Friday

ANNEXURE-III

Restricted Holidays for the Year-2018

Sr. No.	Holiday	Date	Saka	Day of week
1.	New Year's Day	1 st January, 18	<u>SAKA ERA 1939</u> Pausha 11	Monday
2.	Makar Sankranti/ Lohri	14 th January, 18	Pausha 24	Sunday
3.	Basant Panchami	22 nd January, 18	Magha 02	Monday
4.	Swami Dayanand Saraswati Jayanti	10 th February, 18	Magha 21	Saturday
5.	Mahavir Jayanti	29 th March, 18	<u>SAKA ERA 1940</u> Chaitra 08	Thursday
6.	Easter Sunday	1 st April, 18	Chaitra 11	Sunday
7.	Baisakhi	14 th April, 18	Chaitra 24	Saturday
8.	Maha Ashtami	17 th October, 18	Asvina 25	Wednesday
9.	Govardhan Puja	8 th November, 18	Kartika 17	Thursday
10.	Guru Teg Bahadur's Martyrdom Day	24 th November, 18	Agrahayana03	Saturday
11.	Christmas Eve	24 th December, 18	Pausha 03	Monday

Gazetted Holidays for the Year-2018 under Negotiable Instrument Act, 1881

Sr. No.	Holiday	Date	Saka	Day of week
1.	Republic Day	26 th January, 18	<u>SAKA ERA 1939</u> Magha 06	Friday
2.	Guru Ravidas's Birthday	31 st January, 18	Magha 11	Wednesday
3.	Maha Shivratri	14 th February, 18	Magha 25	Wednesday
4.	Holi	2 nd March, 18	Phalgun 11	Friday
5.	Annual Accounts closing	2 nd April, 18	<u>SAKA ERA 1940</u> Chaitra 12	Monday
6.	Budha Purnima	30 th April, 18	Vaisakha 10	Monday
7.	Idu'l Fitr/Maharana Pratap Jayanti	16 th June, 18	Jayeshtha 26	Saturday
8.	Independence Day	15 th August, 18	Sravana 24	Wednesday
9.	Idu'l Zuha (Bakrid)	22 nd August, 18	Sravana 31	Wednesday
10.	Janmashtami	3 rd September, 18	Bhadra 12	Monday
11.	Muharram	21 st September, 18	Bhadra 30	Friday
12.	Mahatma Gandhi's Birthday	2 nd October, 18	Asvina 10	Tuesday
13.	Dussehra	19 th October, 18	Asvina 27	Friday
14.	Diwali	7 th November, 18	Kartika 16	Wednesday
15.	Guru Nanak's Birthday	23 rd November, 18	Agrahayana 02	Friday
16.	Christmas Day	25 th December, 18	Pausha 04	Tuesday

LOCAL AUDIT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Dated the 7th September, 2017

No. I-255/74-Fin (LA)Vol-9-5533.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to promote Shri Mohinder Kumar, Section Officer (Class-II-Gazetted) of Local Audit Department, H.P. presently working in the pay band of ₹10300-34800+5000 Grade Pay to the post of Assistant Director/Assistant Controller (Class-I-Gazetted) in the pay band of Rs. ₹15600-39100+5400 Grade Pay with immediate effect.

Consequent upon the above promotion the following transfers are hereby ordered:—

Sr. No.	Name of the officer	From	To	Remarks
1.	Shri Mohinder Kumar, Section Officer	RAS, Agriculture Produce Market Committee, Mandi	For audit of various institutions with Headquarter at Shimla against vacant post	TA/TTA/Joining Time will be admissible to Shri Mohinder Kumar as per rules.

2.	Shri Ajit Singh, Section Officer	RAS, Himachal Pradesh University, Shimla-5	RAS, Agriculture Produce Market Committee, Mandi against Sr. No. 1.	No A/TTA/Joining time will be admissible to Shri Ajit Singh.
----	----------------------------------	--	---	--

Shri Mohinder Kumar may submit his option for fixation of pay under Rule FR-22(1)(a)(i) within one month from the date of issue of this notification and will remain on probation for a period of two years.

By order,
Sd/-
Additional Chief Secretary (Finance).

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 5th September, 2017

No. Ind-II-(F)6-18/2013.—In continuation to this department Notification of even no. dated 24.08.2013, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to amend clause 10.2, 10.4 & 10.10 of Himachal Pradesh Mineral Policy, 2013 and clause 7 of Annexure-A *i.e.* River/Stream Bed Mining Policy Guidelines for the State of Himachal Pradesh, in order to comply with the order of Hon'ble High Court, Himachal Pradesh in CWPIIL No. 17 of 2016, as a proactive and preventive measures to curb illegal mining in the State.

The clause 10.2 shall be substituted, namely:—

“10.2 The Forest Department being the custodian of forest land should play proactive role to protect their land from illegal mining by lodging FIR against the offenders. It shall also be incumbent on the concerned Department whose public property is damaged or caused to be damaged by illegal mining to file First Information Report (FIR) with Police for damaging public property besides filing case of illegal extraction in the competent court of law”.

The clause 10.4 shall be substituted, namely:—

“10.4 The Transit Pass issued by the concerned Mining Officer to every vehicle carrying mineral to other States should be properly checked at the multi-purpose check post/barriers established at the Inter-State boundaries to prevent illegal transportation of minerals”.

The clause 10.10 shall be substituted, namely:—

“10.10 In order to review the action taken by all the duty holders to whom powers has been delegated to check illegal mining the respective Deputy Commissioners shall hold quarterly meetings of all duty holders to review the action taken by them to curb illegal mining. In order to have an effective control over the illegal mining, the unauthorized roads vulnerable for illegal mining activities shall be identified to plug these roads with the help of Police”.

and District Administration. The action taken for plugging the unauthorized roads for illegal mining activities shall also be reviewed in the meeting and the proceeding of the said meeting shall be submitted to the Director of Industries/Government of Himachal Pradesh regularly”.

The Clause 7 of Annexure-A i.e. River/Stream Bed Mining Policy Guidelines for the State of Himachal Pradesh shall be substituted, namely:—

“All the potential mineral bearing river beds shall be identified and be incorporated in the Survey Documents of all respective districts by the Geological Wing, Department of Industries Himachal Pradesh in consultation with District Environment Impact Assessment Authority (DEIAA) as per the provisions contained in the notification dated 15.01.2016 issued by the Ministry of Environment, forest and Climate Change, Government of India and the survey document shall be prepared as per the provisions contained in the said Notification”.

By order,
ANURADHA THAKUR
Pr. Secretary (Industries).

INDUSTRIES DEPARTMENT
A-Section

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 8th September, 2017

No. Ind-A(B)6-5/2008.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order transfer and posting of following Mining Officers, with immediate effect:—

Sr. No.	Name of Mining Officer	From	To
1.	Sh. Harvinder Singh	Mining Office, Bilaspur	Mining Office, Chamba (with TTA/JT) against vacancy.
2.	Ms. Bindiya Rani	Under order of transfer from Mining Office, Kullu to Mining Office, Chamba	Mining Office, Bilaspur (with TTA/JT) against Sr. No.1.

The above officers are directed to report for duty at their new place of posting within 07 days and submit joining report to this Department as well as to the Director of Industries.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Industries).

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th September, 2017

EDN-A-Ka (1)-20/2017.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to create the Teaching and Non-Teaching posts for newly taken over College namely Government Degree College, Chintpurni, Distt. Una, H.P., as under:—

Teaching and Non-Teaching Staff

Sr. No.	Category	No. of posts	Pay Scale
1.	Principal	01	Rs. 37400-67000+GP 10000
2.	Asstt. Prof. English	01	01 Rs. 15600-39100+GP 6000 (For Regular appointee) Rs. 15600+6000=21600 PM (for contract appointee)
3.	Asstt. Prof. Hindi	01	-do-
4.	Asstt. Prof. Maths	01	-do-
5.	Asstt. Prof. Pol. Science	01	-do-
6.	Asstt. Prof. History	01	-do-
7.	Asstt. Prof. Sanskrit	01	-do-
8.	Asstt. Prof. Economics	01	-do-
9.	Asstt. Prof. Commerce	02	-do-
10.	Superintendent G-II	0101	Rs. 10300-34800 + GP 4800
11.	Senior Asstt.		Rs. 10300-34800+GP 4400
12.	Clerk	02	5910+GP1950 = 7880 PM For contract appointee
13.	Assistant Librarian	01	Rs.5910-20200+GP 2400 (for regular employee) Rs.5910+2400=8310/-PM (For contract appointee)
14.	Peon	03	Daily wage basis
15.	Chowkidar	02	Daily wage basis
16.	Sweeper	01	Part time basis (two hour in a day).
	Total . .	21	—

By order
A.J.V. PRASAD,
Addl. Chief Secretary (Hr. Edu.)

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 अगस्त, 2017

संख्या : पब-ए-(3)-44/99.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में **प्रचार सहायक, वर्ग-II, श्रेणी-III (अराजपत्रित)** के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-“क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, प्रचार सहायक ग्रेड-II, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) अधिसूचना संख्या: पब-ए (3)-44/99 तारीख 10-12-2008 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग प्रोजेक्टर ऑपरेटर (श्रेणी-III, अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 का एतद्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2.(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
मुख्य सचिव, (सूचना एवं जन सम्पर्क),

उपाबन्ध-“क”

हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में प्रचार सहायक वर्ग-II श्रेणी-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.—प्रचार सहायक ग्रेड-II

2. पदों की संख्या.— 37 (सैंतीस)

3. वर्गीकरण.— वर्ग-III (अराजपत्रित)

4. वेतनमान.— (i) नियमित पदधारियों के लिए पे बैण्ड:
₹ 5910-20200 जमा ₹ 1950/- ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उपलब्धियां:
स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹ 7860/- प्रतिमास।

5. “चयन” पद अथवा “अचयन” पद.—लागू नहीं।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.— 18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेसन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेसित किए गए हैं/किए गए थे ।

टिप्पण.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—(क) अनिवार्य अर्हता(एँ).—(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

(ii) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से इलेक्ट्रानिक्स या रेडियो और टी.वी. के ट्रेड में दो वर्षीय नैशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (एन.सी.वी.टी.) प्रमाण-पत्र ।

(ख) **वांछनीय अर्हताएं.**—हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों को लागू होंगी या नहीं :

आयु.— लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता.—लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे ।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेसन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी ।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर सैकेण्डमैण्ट आधार पर ।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा.—राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में से इस पद के समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकेण्डमैण्ट के आधार पर ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—लागू नहीं।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट मूल्यांकन के पश्चात् लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा या यदि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट मूल्यांकन के पश्चात् लिखित परीक्षा के गुणागुण की दक्षता या पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा/शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियों नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएंगी :-

(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में, प्रचार सहायक ग्रेड-II को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कायक्षेत्र में आना.—निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त प्रचार सहायक ग्रेड-II को ₹ 7,860/- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹236/- (पद के बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट के मूल्यांकन परीक्षा के गुणागुण पश्चात् लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट मूल्यांकन के पश्चात् लिखित परीक्षा के गुणागुण की दक्षता या पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा

(वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा/शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) **संविदात्मक नियुक्तियों के लिये चयन समिति.**—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) **करार.**—अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध—“ख” के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) **निबन्धन और शर्तें.**—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 7,860/- प्रतिमाह की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 236/- (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। दो से कम जीवित बालकों वाली संविदा पर नियुक्त महिला को एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर और रिक्त पद के विरुद्ध या जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0—एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों के लिए हकदार होंगे ।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.— लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

परिशिष्ट-I

वर्ग-III के पदों के लिए

1.	लिखित परीक्षा [लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे] ।	85 अंक
2.	अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना है: — (i) भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता। =2.5 अंक [शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जो उसे 1.25 अंक (50 x 0.025) अनुज्ञात किए जाएंगे] । (ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित =01 अंक (iii) भूमिहीन कुटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा =01 अंक (iv) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण-पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है। =01 अंक (v) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन = 01 अंक	15 अंक

(vi)	एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता	=01 अंक
(vii)	सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित ₹40,000 से कम (समस्त स्रोतों से) वार्षिक आय वाला बीपी0एल0 कुटुम्ब	=02 अंक
(viii)	विधवा/तलाक शुद्धा/अकिंचन/एकल महिला	=01 अंक
(ix)	इकलौती पुत्री/अनाथ	=01 अंक
(x)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण।	=01अंक
(xi)	सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक)	=2.5 अंक

उपाबन्ध—“ख”

प्रचार सहायक ग्रेड-II और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमतीपुत्र/पुत्री श्री.....निवासी.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने प्रचार सहायक ग्रेड-II के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्रचार सहायक ग्रेड-II के रूप मेंसे प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्.....को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 7,860/-प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। दो से कम जीवित बालकों वाली संविदा पर नियुक्त महिला को एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी

सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

- नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

- संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
- चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
- कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0 पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

1.-----

(नाम व पूरा पता)

2.-----

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.-----

(नाम व पूरा पता)

2.-----

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO. PUB-A (3)-44/99, DATED 28-08-2017 AS REQUIRED UNDER ARTICLE 348(3) OF THE CONSTITUTION OF INDIA]

INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th August, 2017

No. Pub-A (3)-44/99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of **Publicity Assistant Grade-II (Non-Gazetted)** in the Information and Public Relations Department, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Information & Public Relations Department, Publicity Assistant, Grade-II, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and saving.—(1) The Himachal Pradesh, Department of Information and Public Relations, Project Operator, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008 notified *vide* this Department Notification No. Pub.-A(3)-44/99, dated 10-12-2008 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2(1) *supra*, shall be deemed to have been validly made, or done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Chief Secretary (I&PR).

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PUBLICITY ASSISTANT GRADE-II, CLASS-III, (NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF INFORMATION & PUBLIC RELATIONS, HIMACHAL PRADESH

1. **Name of the post.**— Publicity Assistant Grade-II
2. **Number of post.**— 37 (Thirty Seven)
3. **Classification.**— Class-III (Non-Gazetted)
4. **Scale of Pay.**— (i) Pay Band for regular incumbent:
Pay Band ₹ 5910 -20200 + ₹1950/- Grade Pay
(ii) Emoluments for contract employee:
₹ 7860/-P.M. as per details given in Column 15-A.
5. **Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.**—Not applicable
6. **Age for direct recruitment.**—Between 18 and 45 years,

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *adhoc* basis or on contract basis had become overage on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his /her such *adhoc* or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who are/were subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are /were finally absorbed in the service of such Corporations /Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations /Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

7. **Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).**—(a) *Essential Qualification(s).*—(i) Matric from a recognized Board of School Education.

- (ii) 2 years National Council for Vocational Training (NCVT) Certificate in the trade of Electronics or Radio & T.V. from an Institution recognized by the Himachal Pradesh Government.

(b) *Desirable Qualifications.*—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—*Age.*— Not applicable.

Educational Qualification.— Not applicable

9. Period of probation, if any.— Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

- (b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, failing which on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade for which promotion/secondment/transfer is to be made.—On secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale from other State Government / Central Government Departments.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—Not applicable.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard / syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be.

15-A.—Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) **CONCEPT.**—(a) Under this policy the Publicity Assistant Grade-II in the Department of Information & Public Relations, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis :

Provided that for further extension /renewal of contract period on year to year basis, the concerned Head of Department (HOD) shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed /extended.

(b) **POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSC.**—The Director, Information & Public Relations, Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government for filling up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Recruitment & Promotion Rules.

(II) **CONTRACTUAL EMOLUMENTS.**—The Publicity Assistant Grade-II appointed on contract basis will be paid consolidated fixed amount @ ₹7,860/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ₹236/- (3% of the minimum of pay band plus grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) **APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.**—The Director, Information & Public Relations, Himachal Pradesh, will be appointing and disciplinary authority.

(IV) **SELECTION PROCESS.**— Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which , will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Public Service Commission/Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur/other recruiting agency/authority, as the case may be.

(V) **COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.**—As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur, from time to time.

(VI) **AGREEMENT.**—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-“B” appended to these Rules:

(VII) **TERMS AND CONDITIONS.**—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹7,860/- per month (which shall be equal to initial of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹236/- (3% of the minimum of the pay band plus grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female

contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his /her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty :

Provided that he/she shall submit the certificate of illness / fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis, shall be eligible for consideration for transfer after completion of three years of service on need basis and against vacant posts or wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.— Not applicable

18. Power to relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

APPENDIX-I

FOR CLASS-III POST

1.	<p style="text-align: center;"><u>WRITTEN TEST</u></p> <p>[Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks].</p>	85 Marks
2.	<p>Evaluation of candidate to be made in the following manner:—</p> <p>(i) Weightage for the minimum educational qualification, prescribed in the Recruitment & Promotion Rules. =2.5 Marks</p> <p>[Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25 marks (50x0.025=1.25)]</p> <p>(ii) Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be =01 Mark</p> <p>(iii) Land less family/family having land less than One Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority =01 Mark</p> <p>(iv) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service =01 Mark</p> <p>(v) Differently abled persons with more than 40% impairment/disability/infirmity =01 Mark</p> <p>(vi) NSS (atleast one year)/certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide/ Medal winner in National Level sports competitions. =01 Mark</p> <p>(vii) BPL family having annual income (from all sources) below ₹ 40,000/- or as prescribed by the Government from time to time =02 Marks</p> <p>(viii) Widow/divorced/destitute/single woman. =01 Mark</p> <p>(ix) Single daughter/Orphan =01 Mark</p> <p>(x) Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/Institution =01 Mark</p> <p>(xi) Experience upto a maximum of 5 years in Government/Semi-Government Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year) =2.5 Marks</p>	15 Marks

Form of contract/agreement to be executed between the Publicity Assistant Grade-II and the Government of Himachal Pradesh through Director, Information & Public Relations

This agreement is made on this day of in the year between Sh./Smt. s/o/d/o Sh.r/o Contract appointee (hereinafter called the **FIRST PARTY**), and the **Governor** of Himachal Pradesh through Director, I&PR, Himachal Pradesh (here-in-after called the **SECOND PARTY**).

Whereas, the **SECOND PARTY** has engaged the aforesaid **FIRST PARTY** and the **FIRST PARTY** has agreed to serve as a **Publicity Assistant Grade-II** on contract basis on the following terms & conditions:

1. That the First Party shall remain in the service of the Second Party as a **Publicity Assistant Grade-II** for a period of one year commencing on day of ----- and ending on the day of-----. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the **FIRST PARTY** with **SECOND PARTY** shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e* on and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the **FIRST PARTY** will be ₹7,860/- per month.
3. The service of **FIRST PARTY** will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days'(irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical ground, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to **TA/DA** if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as are applicable to his/her regular counter-part at the minimum of pay scale.
9. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s) .

IN WITNESS the **FIRST PARTY AND SECOND PARTY** have herein to set their hands the day, month and year first above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS

1. _____

(Name and full address)

2. _____

(Name and full address)

SIGNATURE OF THE FIRST PARTY

IN THE PRESENCE OF WITNESS

1. _____

(Name and full address)

2. _____

(Name and full address)

SIGNATURE OF THE SECOND PARTY

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि० प्र०)

मिसल नम्बर : 30 / 2017

श्री चोवे राम पुत्र श्री कुनण, निवासी गांव थैरली, डा० कलहणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

श्री चोवे राम पुत्र श्री कुनण, निवासी गांव थैरली, डा0 कलहणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसके दादा का नाम पंचायत रिकार्ड में वृकम दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड के महाल नलवागी में गलती से खीमें राम दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में पंचायत रिकार्ड के आधार पर वृकम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 29-09-2017 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन-पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 24-08-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 31/2017

श्री राम सिंह पुत्र श्री बुधे राम, निवासी चलौट, डा0 थाची, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

श्री राम सिंह पुत्र श्री बुधे राम, निवासी चलौट, डा0 थाची, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में राम सिंह है परन्तु राजस्व रिकार्ड के महाल चलौट में गलती से राम दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में पंचायत रिकार्ड के आधार पर राम सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 29-09-2017 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन-पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 24-08-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 32/2017

श्री दिले राम पुत्र दास, निवासी पान्दली, डा0 खोलानाल, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

श्री दिले राम पुत्र दास, निवासी पान्दली, डा0 खोलानाल, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसके दादा का नाम पंचायत रिकार्ड में जगता दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड के महाल कुकलाह में गलती से कातकु दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी अपने दादा का नाम राजस्व रिकार्ड में पंचायत रिकार्ड के आधार पर जगता दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 29-09-2017 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 24-08-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 33/2017

श्री कर्म दास पुत्र श्री लाल सिंह, निवासी खनार, डाकखाना धवेहड़, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

श्री कर्म दास पुत्र श्री लाल सिंह, निवासी खनार, डाकखाना धवेहड़, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में कर्म दास दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलती से कर्म सिंह दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में पंचायत रिकार्ड के आधार पर कर्म दास दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 29-09-2017 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन-पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 24-08-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 34/2017

श्री कपल देव पुत्र श्री टिकम राम, निवासी बागी, डाकखाना कल्हणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

श्री श्री कपल देव पुत्र श्री टिकम राम, निवासी बागी, डाकखाना कल्हणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में कपल देव दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड के महाल बागी में गलती से कपिल देव दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में पंचायत रिकार्ड के आधार पर कपल देव दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 29-09-2017 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन-पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 24-08-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

मिसल नं0 : 35/2017

श्री उत्तम राम पुत्र श्री चेत राम, निवासी कशल, डाकखाना पंजाई, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

श्री उत्तम राम पुत्र श्री चेत राम, निवासी कशल, डाकखाना पंजाई, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में उत्तम राम दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड के महाल लगढयाणा में गलती से उत्तम सिंह दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में पंचायत रिकार्ड के आधार पर उत्तम राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 29-09-2017 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन-पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 24-08-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 36/2017

श्री खेम चन्द पुत्र श्री शाउणू उर्फ चमारु, निवासी व डाकखाना बालीचौकी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

श्री खेम चन्द पुत्र श्री शाउणू उर्फ चमारु, निवासी व डाकखाना बालीचौकी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में खेम चन्द पुत्र श्री शाउणू उर्फ चमारु दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड के महाल बालीचौकी में खीम दास पुत्र श्री सावणु तथा महाल नौणा में खिम सिंह पुत्र साउणू दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में पंचायत रिकार्ड के आधार पर खेम चन्द पुत्र शाउणू उर्फ चमारु दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 29-09-2017 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन-पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 24-08-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 37/2017

श्री शेतू पुत्र श्री रतन, निवासी बसूट, डाकखाना थाची, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

श्री शेतू पुत्र श्री रतन, निवासी बसूट, डाकखाना थाची, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में शेतू दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड के महाल बसूट में गलती से डिहणू दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में पंचायत रिकार्ड के आधार पर शेतू दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 29-09-2017 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन-पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 24-08-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री रुलदू राम, निवासी गांव व डाकघर खद्दर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीक दायम।

श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री रुलदू राम, निवासी गांव व डाकघर खद्दर, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम रुलदू राम है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल खद्दर में प्रार्थी के पिता का नाम लुदरु दर्ज है जो गलत है। अब नाम दुरुस्ती दर्ज करवाने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 27-09-2017 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 26-08-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi, H. P.**

In the matter of :—

1. Shri Pushap Raj s/o Dharam Singh s/o Sh. Sukh Ram, r/o Village Nihal, P.O. & Tehsil Sadar, District Bilaspur, H. P.
2. Smt. Renu d/o Sh. Bajan Singh Bhandari, r/o H. No. 89/22 Mahkaionpura Kapurthala, Tehsil & District Kapurthala, Punjab . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Pushap Raj s/o Dharam Singh s/o Sh. Sukh Ram, r/o Village Nihal, P.O. & Tehsil Sadar, District Bilaspur, H. P. and Smt. Renu d/o Sh. Bajan Singh Bhandari, r/o H. No. 89/22 Mahkaionpura Kapurthala, Tehsil & District Kapurthala, Punjab (at present Wife of Shri Pushap Raj s/o Dharam Singh s/o Sh. Sukh Ram, r/o Village Nihal, P.O. & Tehsil Sadar, District Bilaspur, H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 02-07-2016 according to Hindu rites and customs at Bhima Kali Temple Mandi, District Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 23-09-2017 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 22nd day of August, 2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).

ब अदालत श्री गोपाल सिंह कटारिया सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सदर मण्डी,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 53/2017

तारीख मजरूआ : 23-8-2017

तारीख पेशी : 4-10-2017

वादी इन्द्र सिंह पुत्र टांकू राम, निवासी चडयारा, डाकघर गुटकर, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी,
हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 ता 39 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

वादी इन्द्र सिंह पुत्र टांकू राम, निवासी चडयारा, डाकघर गुटकर, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम ईन्द्र सिंह है लेकिन बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्रों में गलती से उसका नाम सुभाष कुमार लिखा गया है जो कि गलत है। इसलिये अब जिसकी दुरुस्ती ग्राम पंचायत सन्यारढ़ में इन्द्र सिंह उपनाम सुभाष कुमार किया जाये। अतः सर्व साधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो दिनांक 4-10-2017 को वह असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। निधारित अवधि के पश्चात कोई आपति प्राप्त होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 23-8-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गोपाल सिंह कटारिया,
सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग,
सदर मण्डी, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : 54/2017

तारीख मजरूआ : 24-08-2017

तारीख पेशी : 3-10-2017

श्री पवन कुमार पुत्र नाग राम, निवासी छनवाड़ी, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री पवन कुमार पुत्र नाग राम, निवासी छनवाड़ी, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि प्रार्थी की पत्नी मीरा देवी की मृत्यु दिनांक 23-06-1985 को हुई है परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचयात टिल्ली के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका। अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो दिनांक 3-10-2017 को असालतन या वकालतन प्रातः 11:00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 24-08-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री जी0 एस0 कटारिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 35/2017

तारीख मजरूआ : 7-7-2017

तारीख पेशी : 16-10-2017

श्री संजय कुमार पुत्र जगदीश चन्द, निवासी नजदीक खण्ड विकास अधिकारी सदर, कार्यालय भियुली मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

श्रीमती गोदावरी पुत्री श्री चन्द, निवासी नलसर, डा0 राजगढ़, तहसील बल्ह हाल पत्नी श्री संजय कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द, निवासी नजदीक खण्ड विकास अधिकारी सदर, कार्यालय भियुली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी संजय कुमार पुत्र जगदीश चन्द, निवासी नजदीक खण्ड विकास अधिकारी सदर, कार्यालय भियुली मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी शादी दिनांक 11-8-2010 को श्रीमती गोदावरी पुत्री श्री चन्द, निवासी नलसर, डा0 राजगढ़, तहसील बल्ह के साथ हुई है परन्तु अज्ञानतावश हम अपनी शादी ग्राम पंचायत तुंग (नसलोह) में दर्ज नहीं कर सके। अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2017 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 21-8-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गोपाल सिंह कटारिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सदर मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : 10/2017

तारीख मजरूआ : 24-07-2017

तारीख पेशी : 26-09-2017

श्रीमती दयावन्ती पत्नी स्व0 श्री जोगी राम, निवासी गांव व डाकखाना कोटुवां, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन-पत्र।

श्रीमती दयावन्ती पत्नी स्व0 श्री जोगी राम, निवासी गांव व डाकखाना कोटुवां, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उल्लेख किया है कि उसके स्व0 पति का वास्तविक नाम जोगी राम है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल कोटुवां में उनका नाम जोंकी दर्ज है जो कि गलत है इसलिए उसने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख मुहाल कोटुवां में दरुस्ती की जाकर उसका नाम जोंकी उर्फ जोगी राम दर्ज किया जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 26-09-2017 को प्रातः 10.00 बजे असागतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजरी की सूत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24-07-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : 11/2017

तारीख मजरूआ : 24-07-2017

तारीख पेशी : 26-09-2017

श्रीमती अर्चना कुमारी पत्नी श्री प्रदीप कुमार, निवासी गांव लोअर घनाला, डाकखाना सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

श्रीमती अर्चना कुमारी, पत्नी श्री प्रदीप कुमार, निवासी गांव लोअर घनाला, डाकखाना सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) के आवेदन-पत्र पर कार्रवाई करने के उपरान्त अति0 जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं

चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी से उनके कार्यालय के पत्र संख्या: HFW (MND) (Birth & Death)/2016-3079, दिनांक 14-6-2017 द्वारा श्री प्रियांशु कटवाल पुत्र श्री प्रदीप कुमार, नि0 गांव लोअर घनाला, डाकखाना सन्धोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0 का विलम्बित जन्म पंजीकरण मामला समस्त औपचारिकताओं सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा श्री प्रियांशु कटवाल का जन्म दिनांक 1-6-2006 को होने की पुष्टि करते हुए जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व हि0 प्र0 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1978 के तहत अनुमति प्रदान करते हुए निर्देश दिए हैं कि मामला में उक्त अधिनियम में निहित शर्तों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् ही सम्बन्धित इकाई (ग्राम पंचायत घनाला) को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में नाम व जन्म तिथि की प्रविष्टि करने हेतु भेजा जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 26-9-2017 को प्रातः 10.00 बजे असागतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर सम्बन्धित पंचायत को जन्म तिथि की प्रविष्टि करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-07-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सन्धोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : 12/2017

तारीख मजरूआ : 27-07-2017

तारीख पेशी : 26-09-2017

श्री नरैण दास पुत्र श्री जय गोपाल उर्फ जैण्ड, निवासी गांव रवाड़ा, डाकखाना सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन-पत्र।

श्री नरैण दास पुत्र श्री जय गोपाल उर्फ जैण्ड, निवासी गांव रवाड़ा, डाकखाना सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम नरैण दास है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल नैंगल में उनका नाम नरैण सिंह दर्ज है जो कि गलत है इसलिए उसने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख मुहाल नैंगल में दुरुस्ती की जाकर उसका नाम नरैण सिंह उर्फ नरैण दास दर्ज किया जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 26-09-2017 को प्रातः 10.00 बजे असागतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-07-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
District Mandi, H. P.**

In the matter of :—

1. Sh. Harish Kumar s/o Shri Hukam Chand, Village Kufri, P. O. Nagchala, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.
2. Smt. Lata Kumari d/o Sh. Annant Ram, r/o Village Chaugan, P. O. Bhangrotu, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. at present wife of Sh. Harish Kumar s/o Shri Hukam Chand, Village Kufri, P. O. Nagchala, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

. . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Harish Kumar s/o Shri Hukam Chand, Village Kufri, P. O. Nagchala, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Lata Kumari d/o Sh. Annant Ram, r/o Village Chaugan, P. O. Bhangrotu, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. at present wife of Sh. Harish Kumar s/o Shri Hukam Chand, Village Kufri, P. O. Nagchala, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 28-04-2017 according to Hindu rites and customs at Village Chaugan, P. O. Bhangrotu, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 26-09-2017. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 25th day of July, 2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Balh, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
District Mandi, H. P.**

In the matter of :—

1. Sh. Gulshan s/o Shri Ganga Ram, Village & P. O. Gagal, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.
2. Smt. Heena Verma d/o Sh. Padam Dev, r/o Village & P.O. Maloh, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H. P. at present wife of Sh. Gulshan s/o Shri Ganga Ram, Village & P. O. Gagal, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

. . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Gulshan s/o Shri Ganga Ram, Village & P. O. Gagal, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Lata Kumari d/o Smt. Heena Verma d/o Sh. Padam Dev, r/o Village & P.O. Maloh, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H. P. at present wife of Sh. Gulshan s/o Shri Ganga Ram, Village & P. O. Gagal, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 28-06-2017 according to Hindu rites and customs at Village & P. O. Gagal, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 26-09-2017. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 26th day of August, 2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Balh, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,
District Mandi, H. P.**

In the matter of :—

1. Smt. Hem Lata aged 22 years d/o Shri Sukhwant Singh, r/o Village Badhya, P.O. Bhangrotu, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.
2. Mohd. Mojahid Ansari s/o Shri Mohd. Shamshad Ansari, r/o Village Shrinagar, P.O. Pir Painti, Tehsil Bhagalpur, Bihar, Presently resident of c/o Babu Pansari s/o Sh. Mohan lal, Village and P.O. Bhojpur, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H. P.

. . Applicants.

Versus

General Public

.. Respondent.

Subject.—Application for registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Smt. Hem Lata and Sh. Mohd. Mojahid Ansari applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 09-12-2013 according to Hindu rites and ceremonies and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 23-09-2017 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 16-08-2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Marriage Office-cum-SDM,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).

**In the Court of Shri B. S. Atri, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)**

Smt. Asha Sharma w/o Late Shri Rama Kant Sharma, r/o Shankuntla Niwas, Village & P. O. Shoghi, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

.. Respondent.

Whereas Smt. Asha Sharma w/o Late Shri Rama Kant Sharma, r/o Shankuntla Niwas, Village & P. O. Shoghi, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his son named—Mr. Puneet Sharma s/o Smt. Asha Sharma w/o Late Shri Rama Kant Sharma, r/o Shankuntla Niwas, Village & P. O. Shoghi, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Thari, Shimla.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Mr. Puneet Sharma	Son	01-09-1981

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding enter the name & date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Thari, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 07-09-2017 under my signature and seal of the court.

Seal.

B. S. ARTI,
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla.

ब अदालत श्री मस्त राम बघाईक, कार्याकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला
(हिमाचल प्रदेश)

श्री संजय कुमार पुत्र स्व० श्री मोहन सिंह, गांव झलास, डाकघर झिकनीपुल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

- (1) आम जनता,
- (2) प्रधान ग्राम पंचायत बम्टा, तहसील चौपाल, जिला शिमला।

विषय.—प्रार्थी के बच्चे का नाम व जन्म-तिथि ग्राम पंचायत बम्टा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री संजय कुमार पुत्र स्व० श्री मोहन सिंह, गांव झलास, डाकघर झिकनीपुल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके बच्चे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बम्टा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपने बच्चे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बम्टा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो कि निम्न प्रकार से है :-

क्रम सख्या	नाम	संबन्ध	जन्म तिथि
1.	अनिश	पुत्री	14-07-2016

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 29-09-2017 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत बम्टा को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 28-08-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

(मस्त राम बघाईक)
कार्याकारी दण्डाधिकारी
चौपाल, जिला शिमला (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री विवेक नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० : 13 / 2017

तारीख दायर : 29-08-2017

श्री जय गोपाल पुत्र स्व० श्री तेगी राम, निवासी गांव व डा० दोफदा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त (नाम दरुस्ती) सेहत ईन्द्राज अराजी खाता/खतौनी नं0 24/93 ता 102, कित्ता 44, रकबा तादादी 02-67-80 है0, वाका चक दोफदा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरखास्त श्री जय गोपाल पुत्र स्व0 श्री तेगी राम, निवासी गांव व डा0 दोफदा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक ग्राम पंचायत अभिलेख में जय गोपाल दर्ज है जो सही व दरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 24/93 ता 102, कित्ता 44, रकबा तादादी 02-67-80 है0, वाका चक दोफदा के खाना मालिक में वादी का नाम हर गोपाल दर्शाया गया है, जो सही नहीं है। वादी उपरोक्त कागजात माल में अपना नाम हर गोपाल के स्थान पर जय गोपाल दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम उपरोक्त अराजी के खाना मालिक में दरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 29-09-2017 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 29-08-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर

विवेक नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत समाहर्ता एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी बंगाणा, जिला ऊना, हि0 प्र0

श्री हरनाम सिंह पुत्र श्री फीनू राम, निवासी महाल भिण्डला, तप्पा वैह, उप-तहसील जोल, जिला ऊना, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

दरखास्त बराए दरुस्ती नाम।

श्री हरनाम सिंह नं0 8010964 भूतपूर्व पी0 एन0 आर0 पुत्र श्री फीनू राम, निवासी महाल भिण्डला, तप्पा वैह, उप-तहसील जोल, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पत्नी का नाम पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड व वोटर कार्ड इत्यादि में सुदेश कुमारी पत्नी श्री हरनाम सिंह दरुस्त दर्ज है, परन्तु उसके फौज के रिकार्ड में उसकी पत्नी का नाम निर्मला देवी गलत दर्ज हो गया है। इसलिए उसकी पत्नी का नाम फौज के रिकार्ड में दरुस्त करने हेतु हि0 प्र0 राजपत्र गजट में प्रकाशित करवाया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार मुनादी हि0 प्र0 के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि 29-9-2017 को इस न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित आकर आपत्ति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य न होगी।

आज दिनांक 21-08-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
समाहर्ता एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी बंगाणा,
जिला ऊना (हि0 प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़,
जिला ऊना (हि0 प्र0)**

(नोटिस जेरे आदेश 5 नियम 20 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत)

नोटिस बनाम आम जनता।

1. श्री सौरव राणा पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव हीरांनगर, डाकघर दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।
2. शशी पुत्री श्री रामपाल, निवासी गांव मकौडगढ़, डाकघर हीरां, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।

दरखास्त जेर धारा 13(3) विवाह पंजीकरण रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सौरव राणा पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव हीरांनगर, डाकघर दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 द्वारा इस अदालत में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह गांव मकौडगढ़, डाकघर हीरां, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 में दिनांक 26-08-2016 को शशी पुत्री श्री रामपाल, निवासी गांव मकौडगढ़, डाकघर हीरां, तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत अभिलेख में अज्ञानता के कारण शादी का पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त विवाह पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह स्वयं दिनांक 21-09-2017 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का उजर/एतराज मान्य न होगा। अन्यथा उपरोक्त विवाह का पंजीकरण करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-08-2017 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0 प्र0)।